न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी : राजकुमार कस्वा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 : 170/2018

अनवान :

1. नरेश पुत्र बलवन्त जाति जाट निवासी महराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– वादी

बनाम

1. बलवन्त पुत्र मामचन्द जाति जाट निवासी महराना तहसील भादरा।
2. सजन पुत्र बलवन्त जाति जाट निवासी महराना तहसील भादरा।
3. चमेली पुत्री बलवन्त जाति जाट निवासी महराना तहसील भादरा।
4. राजस्थान सरकार जरिऐ तहसीलदार राजस्व भादरा।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती

अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति : वकील श्री दलवीर बैनीवाल : **वादी**

वकील श्री चरणसिंह पूनियां : **प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3**

निर्णय **दिनांक :** 21/2/19

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मोजा चक 4 एमआरएन के खाता सं0 24/23 के मु0नं0 28 के किला नं0 21 ता 25, मु0नं0 29 के किला नं0 11 ता 13, 18 ता 23, मु0नं0 30 के किला नं0 14 ता 17, 24 व 25, मु0नं0 37 के किला नं0 13 ता 16, किला नं0 17/1, 18 ता 25, मु0नं0 38 के किला नं0 4 ता 7, 11 ता 25, मु0नं0 39 के किला नं0 1 ता 25 मु0नं0 40 किला नं0 1 ता 25, मु0नं0 46 के किला नं0 1 ता 10, मु0नं0 48 के किला नं0 1 ता 14, 17 ता 24, मु0नं0 49 के किला नं0 1 ता 19, 25, मु0नं0 56 के किला नं0 5, 6, 15 ता 18, 24, 25 मु0नं0 57 के किला नं0 1 ता 4, 8 ता 13, 18 ता 23 कुल 44.312 है0 नहरी बारानी मय खाला रास्ता की खातेदारी में प्रतिवादी बलवन्त के नाम से 751 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। इसी प्रकार रोही चक 8 एमआरएन के खाता सं0 46/53 के मु0नं0 53 के किला नं0 10, 11, 20 मु0नं0 54 के किला नं0 6 ता 20, 23, मु0नं0 55 के किला नं0 6, 7, 14 ता 16 कुल 6.072 है0 नहरी खातेदारी में प्रतिवादी बलवन्त के नाम से 681 हिस्सा खातेदारी दर्ज है।

उक्त वादभूमि पहले वादी के दादा मामचन्द की खातेदारी हुआ करती थी। वादी के दादा के देहान्त होने पर उक्त वादभूमि वादी एवं प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 को बहिस्सा बराबर के अनुसार विरासतन में प्राप्त हुई थी, परन्तु उक्त वादभूमि का विरासतन इन्तकाल प्रतिवादी बलवन्त ने कर्ता खानदान होने के चलते तन्हा अपने नाम दर्ज करवा ली। वादी एवं प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 हिन्दू है तथा हिन्दू उतराधिकार अधिनियम से

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ)

शासित होते है। वाद भूमि वादी की दादालाई पैत्रक कृषि भूमि होने के चलते उसमें वादी का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है।

वाद भूमि के संबंध में वादी एवं प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 का पारिवारिक सैटलमेन्ट हो गया था जिसमें प्रतिवादी चमेली ने वादभूमि में अपना हक हिस्सा वादी एवं प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 के पक्ष में बहिस्सा बराबर के अनुसार तर्क कर अपना हक हिस्सा शुन्य कर लिया था। जिस पर कुल वादभूमि जो प्रतिवादी बलवन्त के नाम से दर्ज है वह वादी एवं प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 को बहिस्सा बराबर के अनुसार प्राप्त हो गई थी तथा इसी अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 की कब्जा काश्त चली आ रही है। परन्तु रिकार्ड माल में उक्त वाद भूमि आज भी तन्हा प्रतिवादी बलवन्त के नाम से दर्ज चली आ रही है। जिससे वादी के खातेदारी अधिकारों पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ता है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिऐ सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया, जिसे बाद तस्दीक शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी सं0 4 पेरोकार राज ने जवाबदावा पेश किया।

साक्ष्य वादीगण में पीडब्ल्यु 1 नरेश पुत्र बलवन्त के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी चक 4एमआरएन के खाता सं0 24/23, सम्वत् 2071 से 74 प्रदर्श 1, फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी चक 8 एमआरएन के खाता सं0 46/53 के सम्वत् 2074 से 77 प्रदर्श 2, प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी खतौनी भूमि एकीकरण विभाग चक 8 महराना सम्वत् 2016 प्रदर्श 3, प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी भूप्रबन्ध विभाग चक 8 महराना सम्वत् 2029 से 38 प्रदर्श 4, प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी भू–प्रबन्ध विभाग चक 4 मेहराना सम्वत् 2029 से 38 प्रदर्श 5, प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी भूप्रबन्ध विभाग चक 4 मेहराना सम्वत् 2029 से 38 प्रदर्श 6, प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी खतौनी भूमि एकीकरण विभाग चक 4 महराना सम्वत् 2016 प्रदर्श 7, वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 8, हल्फनामा प्रदर्श 9 प्रदर्शित करवाये।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि वाद भूमि वादी की दादालाई पैत्रक कृषि भूमि होने के चलते उसमें वादी का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक वादी की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने चक 4 व 8 एमआरएन के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज कृषि भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने अपने दावा की पुष्टि में जो प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी खतौनी भूमि एकीकरण विभाग चक 8 महराना सम्वत् 2016 प्रदर्श 3, प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी भूप्रबन्ध विभाग चक 8 महराना सम्वत् 2029 से 38 प्रदर्श 4, प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी भू–प्रबन्ध विभाग चक 4 मेहराना सम्वत् 2029 से 38 प्रदर्श 5, प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी भूप्रबन्ध विभाग चक 4 मेहराना सम्वत् 2029 से 38 प्रदर्श 6, प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी खतौनी भूमि एकीकरण विभाग चक 4 महराना सम्वत् 2016 प्रदर्श 7 प्रदर्शित करवाई है उक्त दोनों चकों के राजस्व रिकार्ड में 681 हिस्सा कृषि भूमि

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

वादी के दादा मामचन्द के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। इस प्रकार वाद कृषि भूमि 681 हिस्सा तक दादालाई साबित है एवं वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 8 में बलवन्त के वारिसान में पत्नी प्रमेश्वरी फौत होना, दो पुत्र नरेश कुमार व सजन कुमार मौजूद, एक पुत्री चमेली मौजूद होना व इनके अलावा अन्य कोई वारिस नहीं होना अंकित है। इस प्रकार वाद आंशिक तौर पर साबित है।

अत : वाद वादी आंशिक डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मोजा चक 4 एमआरएन के खाता सं0 24/23 के मु0नं0 28 के किला नं0 21 ता 25, मु0नं0 29 के किला नं0 11 ता 13, 18 ता 23, मु0नं0 30 के किला नं0 14 ता 17, 24 व 25, मु0नं0 37 के किला नं0 13 ता 16, किला नं0 17/1, 18 ता 25, मु0नं0 38 के किला नं0 4 ता 7, 11 ता 25, मु0नं0 39 के किला नं0 1 ता 25 मु0नं0 40 किला नं0 1 ता 25, मु0नं0 46 के किला नं0 1 ता 10, मु0नं0 48 के किला नं0 1 ता 14, 17 ता 24, मु0नं0 49 के किला नं0 1 ता 19, 25, मु0नं0 56 के किला नं0 5, 6, 15 ता 18, 24, 25 मु0नं0 57 के किला नं0 1 ता 4, 8 ता 13, 18 ता 23 कुल 44.312 है0 नहरी बारानी मय खाला रास्ता की खातेदारी में प्रतिवादी बलवन्त के नाम से 751 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। इसी प्रकार रोही चक 8 एमआरएन के खाता सं0 46/53 के मु0नं0 53 के किला नं0 10, 11, 20 मु0नं0 54 के किला नं0 6 ता 20, 23, मु0नं0 55 के किला नं0 6, 7, 14 ता 16 कुल 6.072 है0 नहरी खातेदारी में प्रतिवादी बलवन्त के नाम से 681 हिस्सा खातेदारी दर्ज है किन्तु दादालाई रिकार्ड के अनुसार दोनों चकों में बलवन्त व धर्मपाल पुत्रान मामचन्द के नाम 681 हिस्सा दोनों के हिस्से में आता है इस प्रकार उपरोक्त वाद कृषि भूमि में जो कृषि भूमि दादालाई साबित है अर्थात् बलवन्त के 340.5 हिस्सा में प्रतिवादी सं0 1 अकेले बलवन्त के बजाय वादी व प्रतिवादी 1 व 2 तीनों बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। चूंकि प्रतिवादीया सं0 3 चमेली ने वाद कृषि भूमि में से अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 के पक्ष में त्याग दिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 तीनों के नाम बहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। दोनों चकों की शेष कृषि भूमि बलवन्त के नाम यथावत् दर्ज रखी जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 21/2/19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ़

पर्चा डिक्री

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी : राजकुमार कस्वा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 : 170/2018

अनवान :

1. नरेश पुत्र बलवन्त जाति जाट निवासी महराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– वादी

बनाम

1. बलवन्त पुत्र मामचन्द जाति जाट निवासी महराना तहसील भादरा।
2. सजन पुत्र बलवन्त जाति जाट निवासी महराना तहसील भादरा।
3. चमेली पुत्री बलवन्त जाति जाट निवासी महराना तहसील भादरा।
4. राजस्थान सरकार जरिऐ तहसीलदार राजस्व भादरा।

– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ राजकुमार कस्वा उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री दलवीर बैनीवाल एवं वकील प्रतिवादी सं0 1 ता 3 श्री चरणसिंह पूनियां की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी आंशिक डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मोजा चक 4 एमआरएन के खाता सं0 24/23 के मु0नं0 28 के किला नं0 21 ता 25, मु0नं0 29 के किला नं0 11 ता 13, 18 ता 23, मु0नं0 30 के किला नं0 14 ता 17, 24 व 25, मु0नं0 37 के किला नं0 13 ता 16, किला नं0 17/1, 18 ता 25, मु0नं0 38 के किला नं0 4 ता 7, 11 ता 25, मु0नं0 39 के किला नं0 1 ता 25 मु0नं0 40 किला नं0 1 ता 25, मु0नं0 46 के किला नं0 1 ता 10, मु0नं0 48 के किला नं0 1 ता 14, 17 ता 24, मु0नं0 49 के किला नं0 1 ता 19, 25, मु0नं0 56 के किला नं0 5, 6, 15 ता 18, 24, 25 मु0नं0 57 के किला नं0 1 ता 4, 8 ता 13, 18 ता 23 कुल 44.312 है0 नहरी बारानी मय खाला रास्ता की खातेदारी में प्रतिवादी बलवन्त के नाम से 751 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। इसी प्रकार रोही चक 8 एमआरएन के खाता सं0 46/53 के मु0नं0 53 के किला नं0 10, 11, 20 मु0नं0 54 के किला नं0 6 ता 20, 23, मु0नं0 55 के किला नं0 6, 7, 14 ता 16 कुल 6.072 है0 नहरी खातेदारी में प्रतिवादी बलवन्त के नाम से 681 हिस्सा खातेदारी दर्ज है किन्तु दादालाई रिकार्ड के अनुसार दोनों चकों में बलवन्त व धर्मपाल पुत्रान मामचन्द के नाम 681 हिस्सा दोनों के हिस्से में आता है इस प्रकार उपरोक्त वाद कृषि भूमि में जो कृषि भूमि दादालाई साबित है अर्थात् बलवन्त के 340.5 हिस्सा में प्रतिवादी सं0 1 अकेले बलवन्त के बजाय वादी व प्रतिवादी 1 व 2 तीनों बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। चूंकि प्रतिवादीया सं0 3 चमेली ने वाद कृषि भूमि में से अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 के पक्ष में त्याग दिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 तीनों के नाम बहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। दोनों चकों की शेष कृषि भूमि बलवन्त के नाम यथावत् दर्ज रखी जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 21/2/19 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ़